मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर–273010 (उ0 प्र0) भारत
Madan Mohan Malaviya University of Technology
Gorakhpur – 273010 (U.P.) India

ई–निविदा प्रपत्र सम्बन्धी सूचना

समस्त ई–निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर कुल पेड़ों की संख्या 404 (आम के पेड़ों की संख्या– 391, लिची के पेड़ों की संख्या– 7 एवं कटहल के पेड़ो की संख्या– 6) के रख–रखाव एवं उनको फलों की नीलामी के सम्बन्ध में निम्न सारिणी के अनुसार अपनी निविदा //https: e-tender.up.nic.in पर जमा कर सकते है।

कार्य का नाम	दिनांक	समय
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर		
प्रकाशन की तिथि	10.11.2023	3:00 बजे
ई–निविदा प्रपत्रों को डाउनलोड एवं विक्रय की प्रारम्भ तिथि	11.11.2023	4:00 बजे
ई–निविदा प्रपत्रों को डाउनलोड एवं विक्रय की अन्तिम तिथि	22.11.2023	4:00 बजे
ई–निविदा प्रपत्रों का स्पष्टीकरण प्रारम्भ की तिथि	11.11.2023	4:00 बजे
ई–निविदा प्रपत्रों का स्पष्टीकरण की अन्तिम तिथि	22.11.2023	4:00 बजे
ई–निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि	11.11.2023	4:00 बजे
ई–निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	22.11.2023	4:00 बजे
ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समय	22.11.2023	4:30 बजे

ई–निविदा प्रपत्र धनराशि एवं ई0एम0डी0 धनराशि का रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्टों को एक सीलबन्द लिफाफे में रखकर जिसके उपर निविदाकर्ता का नाम, पता, ई–मेल व मोबाईल नं0, एवं सम्बन्धित टेण्डर की संख्या स्पष्ट अंकित हो को कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कार्यालय में निम्न सारिणी के अनुसार जमा करना अनिवार्य है।

क्र0सं0	विवरण	धनराशि / दिनांक एवं समय
01	ई–निविदा प्रपत्र	रू0 1,500.00 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 कुल रू0 1,770.00 रेखॉकित डिमाण्ड ड्राफ्ट
02	ई0एम0डी0 धनराशि	रू0 1,05,000.00 रेखॉकित डिमाण्ड ड्राफ्ट
03	ई–निविदा धनराशि को जमा करने का वैद्य एवं अनुमति प्राप्त माध्यम	रेखॉकित डिमाण्ड ड्राफ्ट
04	ई0एम0डी0 धनराशि को जमा करने का वैद्य एवं अनुमति प्राप्त माध्यम	रेखॉकित डिमाण्ड ड्राफ्ट
05	ई–निविदा प्रपत्र धनराशि एवं ई0एम0डी0 धनराशि के ओरिजनल डाक्यूमेंट को कुलसचिव कार्यालय में जमा कराने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	11.11.2023 4:00 बजे
06	ई–निविदा प्रपत्र धनराशि एवं ई0एम0डी0 धनराशि के ओरिजनल डाक्यूमेंट को कुलसचिव कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	22.11.2023 5:00 बजे तक

ई–निविदा धनराशि एवं ई0एम0डी0 धनराशि के रेखॉकित डिमाण्ड ड्राफ्टों को Finance Controller, Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur के नाम से "Payable at Gorakhpur" पर देय होगा।

कुलसचिव

235

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर–273010 (उ0 प्र0) भारत
Madan Mohan Malaviya University of Technology
Gorakhpur – 273010 (U.P.) India

फलदार वृक्षों का विवरण एवं ई–निविदा की शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वद्यालय प्रांगण में आम, कटहल, लीची के फलों की नीलामी दो वर्षों 2023–24 एवं 2024–25 हेतु ई–निविदा आमंत्रित किया जाता है। पेड़ों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

आम के पेड़ों की संख्या– 391, लिची के पेड़ो की संख्या– 7 एवं कटहल के पेड़ो की संख्या– 6 है।

ई–निविदा/नीलामी के संबंध में शर्ते निम्नवत है :–

1. ई–निविदा की आरक्षित धनराशि BOQ के अनुसार है।
2. उच्चतम निविदा की स्वीकृति के पश्चात् निविदा दाता द्वारा कुल धनराशि का 50 प्रतिशत एक मुश्त विश्वविद्यालय कोष में आशय पत्र (LOI) प्राप्ति के सात (07) दिन के अन्दर जमा कर अनुबन्ध करना होगा। अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि अनुबन्ध करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ही जमा करना अनिवार्य होगा। अवशेष धनराशि 25 प्रतिशत दूसरे वर्ष की फरवरी माह या पहले जमा करने के उपरान्त ही फल तोड़ने का अधिकार होगा।
3. ई–निविदा स्वीकृत के पश्चात् आशय पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर अलग से रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
4. निविदा में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक निविदाकर्ता को अपने पहचान से संबंधित पहचान पत्र जैसे स्थायी एवं अस्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड अपनी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अपना सक्रिय मोबाईल नम्बर जिस पर व्हाटसप ऐप हो एवं ई–मेल आई0डी0 भी देना होगा। जिससे की उन्हें निविदा से सम्बन्धित कोई भी सूचना समय पर दी जा सके।
5. नीलाम किये जाने वाले फलों आम, कटहल, लिची के वृक्षों का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक कुलसचिव महोदय के अनुमति से निविदा के लिए प्रस्तावित कुल फलदार वृक्षों की संख्या एवं अपेक्षित उपज का आकलन निविदाकर्ता द्वारा किया जा सकता है।
6. निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है कि अपना प्रस्ताव मूल्य ई–निविदा के निर्धारित प्रारूप में उद्धत करें। यदि प्रस्तावित मूल्य आरक्षित मूल्य (निर्धारित मूल्य) से कम होने की दशा में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7. पूर्व वर्षो में यदि किसी ठेकदार द्वारा बकाया धनराशि निविदा आमंत्रण की तिथि तक जमा नहीं किया जाता है, तो उसके निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
8. ठेके की अवधि में विश्वविद्यालय के नियम एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध दिये जाने के तुरंत बाद पेड़ो की निगरानी और रखवाली की व्यवस्था की जायेगी। इसके बाद चोरी, प्राकृतिक आपदाओं, आग या किसी अन्य कारण से होने वाली क्षति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नही होगा।
10. आम, कटहल, लिची के फलों की कटाई ठेकेदार या उसके मजदूरों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकृत कर्मचारियों की उपस्थिति में होगा।
11. फलों की बिक्री विश्वविद्यालय परिसर के भीतर या मुख्य द्वार के सामने नही किया जायेगा।

234

12. सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर फलों के संग्रह एवं देखभाल में लगे आवश्यक कर्मियों का नाम एवं विवरण प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा प्रभारी द्वारा गेट पास निर्गत किये जाने के बाद अधिकृत कर्मचारी को ही परिसर के अन्दर जाने की अनुमति होगी।
13. पौधो को कोई नुकसान पहुँचाये बिना आम, कटहल, लिची के फलों की कटाई एवं तोड़ने के अधिकार के अलावा विश्वविद्यालय के किसी अन्य सम्पत्तियों पर ठेकेदार का कोई भी अधिकार नही होगा।
14. ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के कारण विश्वविद्यालय के वृक्षों सहित किसी भी अन्य सम्पत्ति की कोई भी क्षति नही होगी। यदि ठेकेदार या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा क्षति पहुँचायी जाती है तो एक मुश्त विश्वविद्यालय द्वारा वसूल किया जायेगा। जिसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा जमा की गयी Performance Bank Gaurntee से भी किया जा सकता: है।
15. यदि निविदा अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा परिसर में अशान्ति या अनुशासनहीनता की जाती है, तो विश्वविद्यालय उचित कार्यवाही करेगा।
16. यदि ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्षति का भुगतान करना होगा।
17. बगीचे में खाना पकाने आदि के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग नही करना होगा। यदि ऐसा करते हुये पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दण्ड का भुगतान करना होगा।
18. निविदाकर्ता द्वारा बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम नही लिया जायेगा।
19. निविदाकर्ताओं द्वारा ई–निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
20. निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने/अस्वीकार करने अथवा संस्थान हित में परिमार्जित करने अथवा संशोधन करने का अधिकार मा. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर/सक्षम अधिकारी का होगा।
21. उपरोक्त समस्त प्रकार की शर्तो को स्वीकार करना निविदादाताओं के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने पर विधिक कार्यवाही की दशा में मा. न्यायालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में ही निस्तारित किया जायेगा।

Anil

कुलसचिव